

क्रमांक : एफ2(6350)/डीओआईटी/संस्था/पार्ट-II/2014/05375/2023 जयपुर, दिनांक: 26/12/2023

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(936)सू.प्रौ./संस्था/पार्ट-II/04320/2021 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा श्री नवीन कुमार, पुत्र स्व. श्री मानसिंह, सूचना सहायक को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में सूचना सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला 5200-20200 (10) में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये राशि रुपये 18,500/- पर नियत पारिश्रमिक के अन्तर्गत प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री नवीन कुमार, द्वारा जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भरतपुर में दिनांक 10.11.2021 को मध्याह्न पूर्व सूचना सहायक के पद पर कार्यग्रहण किया गया।

तत्पश्चात इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(1587)डी.ओ.आई.टी./संस्था/13/03504/2022 दिनांक 27.05.2022 के द्वारा श्री नवीन कुमार, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन) ने नियुक्ति आदेश की शर्तानुसार कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा (प्रथम अवसर दिनांक 17.05.2022 को) भी उत्तीर्ण कर ली गई है।

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री नवीन कुमार, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी-1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26,300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	डीडीपी	श्री नवीन कुमार, पुत्र स्व. श्री मानसिंह	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भरतपुर	10.11.2021	09.11.2023	10.11.2023

उक्त कार्मिक का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त कार्मिक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2024 होगी।


(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव/सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-2), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भरतपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. श्री नवीन कुमार, सूचना सहायक, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भरतपुर।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


26/12/2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी